दूरभाष :– 0151–2970665 राजस्थान–सरकार ई–मेल :–jdmandalbkn@gmail.com

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।

क्रमांक :–संनि/स्कूल शिक्षा/ बीकानेर/संस्था–I/वअ भर्ती 2018/परामर्श कैम्प/2020/1673 दिनांक 09.11.2020

पदस्थापन परामर्श सूचना (Counselling for Posting Information)
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती वर्ष 2018 में चयनित अभ्यर्थी
विषय :– हिन्दी/विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/पंजाबी (नॉनटीएसपी)

श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांकः– शिविरा–मा./ संस्था /एफ–1 /12102/सी.भ/व.अ.–हिन्दी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पंजाबी (नॉन टीएसपी–2018 /2020 दिनांक 03.11.2020 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (नॉनटीएसपी) भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों के सम्भाग आवंटन पश्चात् बीकानेर सम्भाग को आवंटित किये जाने पर वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) के पदस्थापन हेतु निम्नानुसार परामर्श कैम्प आयोजित किया जाता है।

परामर्श कैम्प स्थल :– कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर करणी सिंह स्टेडियम के सामने, बीकानेर।

क्र0 स0	विषय	दिनांक	अभ्यर्थियों की संख्या	पंजीयन समय एवं प्रमाण–पत्र जांच	वरीयता निर्धारण का समय (संशोधन/आपत्ति हेतु)	काउंसलिग का समय
1	हिन्दी	11.11.2020 (बुधवार)	08	सुबह 10 से 11 बजे तक	सुबह 11:00 से 12.00 बजे तक	दोपहर 12.00 से 1:00 तक
2	विज्ञान	11.11.2020 (बुधवार)	04	सुबह 10 से 11 बजे तक	सुबह 11:00 से 12.00 बजे तक	दोपहर 12.00 से 1:00 तक
3	सामाजिक विज्ञान	11.11.2020 (बुधवार)	07	सुबह 10 से 11 बजे तक	सुबह 11.00 से 12.00 बजे तक	दोपहर 1.00 से 2:00 तक
4	पंजावी	11.11.2020 (बुधवार)	05	सुबह 10 से 11 बजे तक	सुबह 11.00 से 12.00 बजे तक	दोपहर 1.00 से 2:00 तक

चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची एवं पदस्थापन हेतु निर्धारित की गई रिक्त पदों की विद्यालयवार सूची परामर्श शिविर से एक दिन पूर्व विभागीय वेबसाईट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पर प्रदर्शित कर दी जावेगी।

A. *सम्भाग आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु वरीयता क्रम का निर्धारण निम्न क्रम में किया जायेगा :–*

क्रस	वरीयता बिन्दु	वरीयता निर्धारण प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज/प्रमाण पत्र/अभ्यावेदन
1	40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग	सक्षम चिकित्सक का प्रमाण पत्र।
2	विधवा महिला	पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं काउंसलिंग दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ–पत्र 50/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर।
3	परित्यक्ता महिला	सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेदन सम्बन्धी डिक्री एवं काउंसलिंग दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र 50/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर।
4	एकल महिला (अविवाहित)	50/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर काउंसलिंग दिनांक तक अविवाहित होने का शपथ–पत्र।
5	भूतपूर्व सैनिक	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।
6	पति पत्नी प्रकरण (पूर्व से)	पूर्व में राज्य सेवा/राजकीय विभाग/सार्वजनिक निगम/बोर्ड/उपक्रम में बीकानेर सम्भाग (बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़) में कार्यरत हो तो कार्यरत पति/पत्नी के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त सेवा प्रमाण–पत्र एएव सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण–पत्र।
7	पति–पत्नी प्रकरण (वर्तमान भर्ती)	उक्त भर्ती में समान/असमान विषय में पति–पत्नी दोनों के चयन होने एवं बीकानेर संभाग आवंटित होने की स्थिति में दंपत्ति में से किसी एक को उच्च वरियता के क्रमानुसार प्राथमिकता हेतु मैरिट के प्रमाण स्वरुप दस्तावेज एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण–पत्र।
8	शहीद परिवार आश्रित (अविवाहित	वीरांगना की स्थिति में सम्बन्धित शहीद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र एवं पुत्री की स्थिति में अविवाहित होने सम्बन्धी शपथ–पत्र।

Scanned by CamScanner

	पुत्री/ वीरांगना)	
9	महिला अभ्यर्थी	–
10	अन्य शेष अभ्यर्थी	–

उक्तानुसार प्राथमिकता प्राप्त अभ्यर्थियों को बिन्दु के सम्मुख अंकित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही प्राथमिकता का लाभ दिया जा सकेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के वरीयता निर्धारण में संशोधन/आपत्ति हो तो वह काउंसलिंग दिवस को ही निर्धारित समय सुबह 11:00 से 12.00 तक काउंसलिंग स्थल पर संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते है इसके पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। परामर्श कैम्प में उपस्थित होकर विद्यालय का चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों का विभाग द्वारा प्रदर्शित रिक्तियों में से शेष रही रिक्तियों पर स्थानीय कार्यालय स्तर पर पदस्थापन किया जाएगा।

समस्त विषयों के परामर्श कैम्प हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश :–

1. काउसंलिग में सम्मिलित वाले अभ्यर्थी कोई एक पहचान पत्र (आई0डी0), मूल दस्तावेज एवं वरियतानुसार दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ में लावें।
2. काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक :– एफ 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का, एवं विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र एवं आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व–घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से साथ में लावें।
3. चयनित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता राज्य के बाहर की है तो छाया प्रति की स्वःप्रमाणित प्रति साथ में लावें।
4. आरक्षण सम्बन्धी दस्तावेज (अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण–पत्र जो पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए।
5. वैश्विक महामारी कोविड–19 की परिस्थितियों के अनुसार जारी एडवाइजरी में प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा।

(प्रकाश चन्द्र जाटोलिया)
संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा, बीकानेर सम्भाग,
बीकानेर

Scanned by CamScanner